

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि. 630(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदिन उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**अनुसूची**

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में, अनुसूची में "सामान्य प्रशासन - मुख्य स्थापना" शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 6 में अध्यक्ष के निजी सचिव के पद के विरुद्ध, कॉलम 9 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(क) नहीं

(ख) हां

(ग) नहीं"

[मि. सं. पी.आर.-12016/7/2018-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 862 (अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 849 (अ) दि. 25 अक्टूबर 2014
- (ii) सा.का.नि. सं. 604 (अ) दि. 31 जुलाई 2015
- (iii) सा.का.नि. सं. 644 (अ) दि. 30 जून 2016
- (iv) सा.का.नि. सं. 649 (अ) दि. 01 जुलाई 2016
- (v) सा.का.नि. सं. 1126 (अ) दि. 09 दिसम्बर 2016
- (vi) सा.का.नि. सं. 1151 (अ) दि. 16 दिसम्बर 2016
- (vii) सा.का.नि. सं. 211 (अ) दि. 09 मार्च 2017
- (viii) सा.का.नि. सं. 306 (अ) दि. 30 मार्च 2017
- (ix) सा.का.नि. सं. 1435 (अ) दि. 20 नवम्बर 2017
- (x) सा.का.नि. सं. 835 (अ) दि. 05 सितम्बर 2018
- (xi) सा.का.नि. सं. 235 (अ) दि. 25 मार्च 2019
- (xii) सा.का.नि. सं. 417 (अ) दि. 12 जून 2019

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2019

**G.S.R. 630(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019, made by the Board of Trustees of the Cochin Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Cochin Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the official gazette.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the Schedule, under the heading "GL. ADMN-MAIN. ESTT" against serial number 6 relating to the post of P.S. to Chairman, in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(a) No

(b) Yes

(c) No"

[F. No. PR-12016/7/2018-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

**Footnote :** The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 862 (E), dated the 28<sup>th</sup> October, 2010 and was subsequently amended *vide* number-

- (i) G.S.R. 849 (E), dated the 25<sup>th</sup> October, 2014;
- (ii) G.S.R. 604 (E), dated the 31<sup>st</sup> July, 2015;
- (iii) G.S.R. 644(E), dated the 30<sup>th</sup> June , 2016;
- (iv) G.S.R.649 (E), dated the 1<sup>st</sup> July, 2016;
- (v) G.S.R. 1126(E), dated the 9<sup>th</sup> December, 2016;
- (vi) G.S.R. 1151(E), dated the 16<sup>th</sup> December, 2016;
- (vii) G.S.R. 211(E), dated the 9<sup>th</sup> March, 2017;
- (viii) G.S.R. 306(E), dated the 30<sup>th</sup> March , 2017;
- (ix) G.S.R. 1435(E), dated the 20<sup>th</sup> November, 2017;
- (x) G.S.R. 835(E), dated the 5<sup>th</sup> September, 2018;
- (xi) G.S.R. 235(E), dated the 25<sup>th</sup> March, 2019; and
- (xii) G.S.R. 417(E), dated the 12<sup>th</sup> June, 2019;